आदेश तारीख	आदेश का विवरण मय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर	आदेश की पालना में की गई कार्यवाही
24-10-2025	वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया तो प्रकरण प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष का प्रतीत होता हैं तथा अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होने की संभावना है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता हैं कि वह तहसील अनूपगढ़ की वादग्रस्त कृषि भूमि वाके **चक 4 एस एस एम का मु.नं.–27 प.नं.–26/35 का कि.नं.–1/2, 2, 3, 8, 9, 10/2, 11/2, 12, 13, 18, 19, 20/2, 21/2, 22, 23 व मुरब्बा नं.–30 पत्थर नं.–26/59 का किला नं.–1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 इस प्रकार दोनो मुरब्बो में कुल कृषि भूमि 5.4140 हैक्टर** कृषि भूमि पर आगामी तारीख पेशी तक प्रार्थी के हिस्से तक **रिकॉर्ड की यथास्थिति** बनाकर रखें। सम्बन्धित को तहरीर/सूचना जारी हो। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण की तलबी हेतु तलवाना नोटिस रजि. ए. डी. के पेश करे। बहस हेतु अवसर मागंने पर एतराज होने पर यह स्थगन आदेश निरस्त करने पर विचार किया जा सकेगा। रजि. ए.डी. नोटिस पेश नहीं करने की स्थिति में न्यायालय के द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 63 (1) के तहत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी पर निरस्त मानी जावेगी। पत्रावली आईन्दा **दिनांक 17.11.2025** को पेश हो। सुरेश राव आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़	
17/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी [illegible] से श्री सो[illegible] वकालतनामा पेश किया। [illegible] बाद में शामिल किया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.01.27 11:24:10 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली बाबत बयान प्रा०पत्र दिनांक 3/12/25 को पेश हो।

3 12/25 ...को प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप
श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है।
अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 14/1/26
को पेश हो।

21/1/26 आज यह पत्रावली वकील प्रार्थी द्वारा प्रा०पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रकरण में प्रार्थी का लोक अदालत की [illegible] से राजीनामा हो चुका है। प्रार्थी आगे प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता है। अतः प्रार्थी के प्रा०पत्र अनुसार प्रा०पत्र 212 RTA खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार खारिज दफ्तर होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

प्रमिला

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.01.27 11:24:10 IST
Reason: SelfAttested